राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(317) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017–18 जयपुर, दि 02/12/2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
अलवर, बाँसवाड़ा, बाड़मेर,
बीकानेर, बूँदी, चूरू, जयपुर,जालौर,
करौली, राजसमंद, सीकर, सिरोही, ।

विषय :– निजी प्रयोगशालाओं से कराए गये टेस्टिंग की सूचना के संबंध में कारण बताओ नोटिस

प्रसंग :– विभागीय पत्र दिनांक 03.10.2019, 14.10.2019, 21.10.2019 एवं 30.10.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के क्रम में मौके से प्राप्त सेंपलों की निजी प्रयोगशालाओं से कराए गए टेस्टिंग एवं निर्माण कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों का समायोजन संबंधी सूचना/विवरण भिजवाने बाबत् प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्देशित किया गया था। उक्त संबंध में प्रासंगिक पत्रों एवं दूरभाष पर बार–बार स्मरण कराने के उपरांत भी वांछित सूचना आपके जिले से आज दिनांक तक अप्राप्त है, जो कि राज्यादेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

उक्तानुसार वांछित सूचना नहीं भिजवाने से यह प्रतीत होता है कि आपके जिले में विभागीय प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता परीक्षण/जाँच न कर निजी प्रयोगशालाओं से प्राप्त परीक्षण/जाँच रिपोर्ट के आधार पर ही उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों का समायोजन किया जा रहा है।

अतः इस संबंध में कारण अंकित करते हुए अपना स्पष्टीकरण 7 दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त कृत्य के लिए आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण व अपील) नियम 1958 (नियम 16) के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

28/11/19

(कैलाश चन्द मीना)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. जिला कलक्टर, अलवर, बाँसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, बूँदी, चूरू, जयपुर,जालौर, करौली, राजसमंद, सीकर, सिरोही राजस्थान।
4. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)